

Received.
23/01/25
05:00 PM

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही।

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट-संख्या नं०-29193/2022 कृष्ण कान्त सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.11.2024 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के मध्यस्थता केन्द्र हेतु मध्यस्थगणों के शेष रिक्त 03 पदों को भरने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही द्वारा जारी विज्ञापन दिनांकित 19.12.2024 के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों में से चयन समिति द्वारा दिनांक 21.01.2025 को दोपहर 01:30 बजे से आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से निम्नवत् 03 अधिवक्ता मध्यस्थों को उ०प्र० सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 के अन्तर्गत 03 वर्षों हेतु चयनित करते हुये माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी। चयनित अधिवक्ता मध्यस्थों का अनुमोदन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा अपने अनुमोदन आदेश दिनांकित 22.01.2025 के द्वारा किया गया है जो निम्नवत् है-

मध्यस्थता नियमावली के अन्तर्गत रिक्त 03 पदों पर चयनित अधिवक्ता मध्यस्थों की सूची-

क्र०सं०	मध्यस्थ अधिवक्ता का नाम	पंजीकरण संख्या
1.	श्री सूर्यदत्त पाण्डेय एडवोकेट	UP03935/93
2.	श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट	UP4614/84
3.	श्री श्री रिकू जायसवाल एडवोकेट	UP1631/2001

उपरोक्त मध्यस्थ दिनांक 23.01.2025 से नियमानुसार 03 वर्ष तक मध्यस्थता का कार्य सम्पादित करेंगे।

दिनांक-22.01.2025

United
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही।

प्रतिलिपि-

- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को जिला न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- प्रभारी नाजरात अनुभाग को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
- अध्यक्ष जिला बार एशोसिएशन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- जिला सूचना अधिकारी को जनपद भदोही के स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराये जाने हेतु।
- समस्त चयनित मध्यस्थों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।